

# कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव।

## सूचना

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जनपद उन्नाव में धारा 22 बी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत में अध्यक्ष की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष तक की आयु की सीमा तक सेवा निवृत्त जिला जज अथवा अपर जिला जज के स्तर के अधिकारी में से की जानी है। प्रार्थना पत्र के प्रारूप एवं अर्हता, प्रार्थना पत्र देने की अन्तिम तिथि आदि का उल्लेख उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय की वेबसाइट [www.upslsa.up.nic.in](http://www.upslsa.up.nic.in) पर उपलब्ध है।

स्थायी लोक अदालत में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु शर्तें भी निर्धारित की गयी हैं तथा अध्यक्ष की सेवा शासनादेश संख्या 952/सात-न्याय-7-2010-13/2010 दिनांकित 24.11.2010 एवं शासनादेश संख्या-827/सात-न्याय-7-2014-47/2002 दिनांकित 18.11.2014 के अधीन धारा 22 बी (2) (a) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत शासित होगी।

स्थायी लोक अदालत उन्नाव में अध्यक्ष की नियुक्ति उच्च न्यायिक सेवा से सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारी में से की जानी है। 65 वर्ष की आयु के उपरान्त अर्ह नहीं माना जायेगा। अधिकारी के विरुद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न की गयी हो तथा कोई विभागीय जॉब अथवा विजिलेंस जॉब विचाराधीन न हो। अधिकारी जन उपयोगी सेवा भाव रखने वाला होना चाहिए। सेवा की नियम व शर्तें अधिसूचना एफ न०-A-60011(3)/2001-admin.iii(LA) दिनांकित 02 जनवरी 2003 भारत सरकार के न्याय एवं विधि मंत्रालय के अधीन शासित होगी। अध्यक्ष का स्थानान्तरण एक जनपद से अन्य जनपद में जनहित में किया जा सकता है।

स्थायी लोक अदालत उन्नाव में अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उच्चतर न्यायिक सेवा से सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारी अपना प्रार्थना पत्र सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तृतीय तल जवाहर भवन एनेक्सी लखनऊ 226001 को सम्बोधित पते पर दिनांक 11.04.2017 तक उपलब्ध करा सकते हैं। प्रार्थना पत्र का निर्धारित प्रारूप साथ में संलग्न है।



(नीलू यादव)  
31.3.17  
सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
उन्नाव।

Annexure-A


Proforma for the post of Chairman

Permanent Lok Adalats

*(Established under section, 22-B of the Legal Services Authorities Act, 1987)*

*(To be filled personally by the applicant)*

1. Name: .....  
(Capital Letters)
2. Father's/Husband's Name: .....
3. Present Address:.....  
.....  
Mobile No & Landline No.....  
Email Address.....
4. Permanent Address: .....
5. Date of Birth: .....
6. Date of Retirement from Judicial Service: .....
7. Post held at the time of retirement: .....
8. Disciplinary action/criminal case, if any,  
(taken during service/presently pending, provide details on Affidavit)  
.....
9. Experience if any of having worked  
in any Legal Services Institutions: .....
10. Educational Qualifications: .....
11. Any other special qualification(s)/achievement(s): .....
12. Present Employment, if any, : .....
13. Details of Property: .....
14. Details of Family Members: .....



Date:  
Place:

Signature of applicant